

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 19-01-26



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 19 Jan, 2026

Edition : International Table of Contents

पेज 03 पाठ्यक्रम : प्रारम्भिक परीक्षा	कवरत्ती के सूक्ष्म क्रस्टेशियन को एक नए जीनस और प्रजाति के रूप में स्थापित किया गया
पेज 04 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन द्वितीय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध / प्रारंभिक परीक्षा	भारत को गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया
पेज 05 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II और III : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था	'सीमाएं टैंकों या आतंकवादियों से नहीं, बल्कि बातचीत से तय होनी चाहिए'
पेज 10 पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II : सामाजिक न्याय	शिक्षा में संकट उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है
पेज 12 पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन II: सामाजिक न्याय / प्रारंभिक परीक्षा	भारत को बाल तस्करी से कैसे निपटना चाहिए?
पेज 10 : संपादकीय विश्लेषण पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन II : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	भारत-जर्मनी संबंध केवल और ऊंचे हो सकते हैं

पेज 03 : प्रारंभिक परीक्षा

लक्षद्वीप के कवरत्ती लैगून से एक नई सूक्ष्म क्रस्टेशियन प्रजाति, इंडियाफोंटे बिजोई की खोज समुद्री वर्गीकरण और जैव विविधता अनुसंधान में भारत के बढ़ते योगदान पर प्रकाश डालती है। द हिंदू की रिपोर्ट में, यह खोज जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में कम-ज्ञात सूक्ष्म जीवों के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती है।

Microscopic crustacean from Kavaratti established as a new genus and species

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

A tiny crustacean discovered from the Kavaratti lagoon on the Lakshadweep islands has now been established as a new genus and a new species. The organism, which belongs to the family *Laophontidae* within the *Copepoda* class, is so minuscule that it can be properly studied only with a microscope.

The crustacean has been named *Indiaphonte bijoyi*, with the generic name *Indiaphonte* honouring India and the species name *bijoyi* named after S. Bijoy Nandan, dean, Faculty of Marine Sciences, Co-



Indiaphonte bijoyi play a key role in maintaining health of aquatic ecosystems.

chin University of Science and Technology (Cusat) and a former Vice-Chancellor of Kannur University.

The new organism has been scientifically de-

scribed by Neelima Vasu K., a researcher in the Department of Marine Biology at Cusat, in collaboration with Samuel E. Gómez-Noguera, a copepod taxonomist and Professor at UNAM University, Mexico. The discovery has been highlighted in a paper in the journal *Zootaxa*.

The newly described species has a semi-cylindrical, depressed body that is wider in the middle and tapering towards the posterior. It also has antennae-like appendages at the front. Females are slightly larger than males with a body length ranging from 518 to 772 micrometres.

Organisms such as *In-*

diaphonte bijoyi are essentially Meiofauna, tiny invertebrate animals less than 1 millimetre in size living in sediments in aquatic environments. With 350 species across 77 genera, the family *Laophontidae* is among the most diverse within the order *Harpacticoida*. Though microscopic in size, they play a vital role in maintaining the health of marine and freshwater ecosystems.

The genus *Indiaphonte* is considered new because it exhibits a unique combination of morphological traits that do not match any previously recorded genus within the *Laophontidae* family.

मुख्य विवरण और वैज्ञानिक महत्व

- इंडियाफोंटे बिजोई परिवार से संबंधित है लाओफोंटिडे वर्ग के तहत कोपेपोडा, आदेश हार्पैक्टिकोइडा।
- जीव अर्धसूत्रीविभाजन के रूप में योग्य है - सूक्ष्म अकशेरुकी (<1 मिमी) जलीय तलछट में रहने वाले।
- इसकी खोज कवरत्ती लैगून में की गई थी, जो एक संवेदनशील प्रवाल एटोल पारिस्थितिकी तंत्र है।
- इस प्रजाति का वर्णन कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय टैक्सोनोमिस्ट के सहयोग से किया गया था, और एक प्रतिष्ठित सहकर्मी-समीक्षित पत्रिका जूटाक्सा में प्रकाशित किया गया था।
- एक नए जीनस (इंडियाफोंटे) की स्थापना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण में, एक नया जीनस केवल तभी बनाया जाता है जब कोई जीव रूपात्मक लक्षणों का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शित करता है जो किसी भी मौजूदा जीनस के अनुरूप नहीं होता है। यह प्रजातियों की विशिष्ट विकासवादी वंशावली और हमारे वर्तमान जैव विविधता रिकॉर्ड की अपूर्णता दोनों को दर्शाता है।

पारिस्थितिक महत्व: यद्यपि सूक्ष्म, हार्पैक्टिकॉइड कोपेपोड जैसे इंडियाफोंटे बिजोई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- पोषक तत्वों का चक्रण और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन
- तलछट स्वास्थ्य बनाए रखना
- उच्च पोषी स्तर के लिए खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करना
- उनकी उपस्थिति अक्सर होती है एक संकेतक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का, जो उन्हें समुद्री पर्यावरण निगरानी के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

UPSC के लिए व्यापक प्रासंगिकता

जैव विविधता संरक्षण: भारत के द्वीप पारिस्थितिक तंत्र में अनिर्दिष्ट समुद्री जैव विविधता पर प्रकाश डालता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: वर्गीकरण, माइक्रोस्कोपी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग पर जोर देता है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी: अर्धसूत्रीविभाजन की पारिस्थितिक भूमिका और नाजुक तटीय और लैगून पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता को पुष्ट करता है।

नीति परिप्रेक्ष्य: राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन और नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों जैसी पहलों के तहत समुद्री जैव विविधता मानचित्रण के मामले को मजबूत करता है।

निष्कर्ष एक नए जीनस और प्रजाति के रूप में इंडियाफोंटे बिजोई की पहचान एक अनुस्मारक है कि महत्वपूर्ण जैव विविधता सूक्ष्म स्तरों पर छिपी हुई है। इस तरह की खोजें वैज्ञानिक समझ को बढ़ाती हैं, साक्ष्य-आधारित संरक्षण का समर्थन करती हैं, और वैश्विक समुद्री अनुसंधान में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करती हैं - एक पहलू जो तटीय और द्वीप पारिस्थितिक तंत्र के सतत प्रबंधन के लिए तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में समाचारों में देखे गए इंडियाफोंटे बिजोयी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है:

- A. पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक मीठे पानी की मछली
- B) कोपेपोडा से संबंधित एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन
- C. प्रवाल भित्तियों में पाई जाने वाली एक समुद्री शैवाल प्रजाति
- D. मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र से एक बेंटिक मोलस्क

उत्तर: (b)

गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का निमंत्रण वैश्विक संघर्ष-समाधान प्रयासों में नई दिल्ली की बढ़ती राजनयिक प्रोफाइल का संकेत देता है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह विकास पश्चिम एशिया की भू-राजनीति, गाजा के संघर्ष के बाद के पुनर्निर्माण और रणनीतिक स्वायत्तता में निहित भारत की सैद्धांतिक विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

India invited to join Gaza peace board

New Delhi has not yet responded to the invitation, officials say; the Board of Peace, to be headed by Trump and to include 'other members and heads of state', is expected to oversee funding for the 'redevelopment of Gaza' until the Palestinian Authority completes a 'reform programme'

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

United States President Donald Trump has invited India to be a part of the Board of Peace for Gaza, sources in New Delhi said on Sunday.

U.S. Ambassador Sergio Gorrer also shared a letter on social media from Mr. Trump to Prime Minister Narendra Modi inviting India.

The Board of Peace for Gaza comprises a group of countries that are being invited by the U.S. to provide a governance structure for the Gaza Strip, as Hamas is being pressured to give up its governance role in the territory as part of Mr. Trump's peace plan.

Officials unwilling to be named said that India has the "invite in hand",

though New Delhi has not responded as yet. This comes three days after Mr. Trump announced on social media that the Board of Peace had been formed and that its members would be announced "shortly".

The Trump peace plan for Gaza was first floated on September 29, 2025, when the U.S. President hosted Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House. Following the announcement, Hamas agreed to return all 48 remaining hostages who were being held in Gaza in exchange for Palestinian prisoners in Israeli jails and Gaza detainees.

As per the plan, Gaza will be administered by the "temporary transitional governance of a technocratic apolitical Palestinian committee", which will



U.S. President Donald Trump with Prime Minister Narendra Modi in the Oval Office of the White House on February 13, 2025. AFP

consist of Palestinian and international experts. This transitional outfit will be supervised by the Board of Peace, to be headed by Mr. Trump and include "other members and heads of state", as well as the United Kingdom's former Prime Minister Tony Blair.

The Board of Peace is expected to handle fund-

ing for the "redevelopment of Gaza" till the Palestinian Authority has completed a "reform programme".

The U.S. is expected to work with international partners to develop a "temporary" International Stabilisation Force (ISF) to be deployed in Gaza soon. The U.S. has been in talks with multiple countries

UAE President arrives today

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India will host UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, on Monday.

The UAE President will hold talks with Prime Minister Narendra Modi. "The visit will provide an opportunity for the two

leaders to chart new frontiers for the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership. It will also enable exchange of views on regional and global issues of mutual interest, where India and the UAE share a high degree of convergence," the External Affairs Ministry said.

across the world for troops to participate in the ISF.

Officials here have maintained that India would not be part of the ISF as it is not a peacekeeping force under the aegis of the United Nations.

On October 9, 2025, however, Mr. Modi had welcomed the Trump peace plan in a post on X.

"We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu," he said.

Jordan, Greece, Cyprus, and Pakistan also said on Sunday they had received invitations. (With PTI inputs)

पृष्ठभूमि

1. गाजा पट्टी: रणनीतिक और राजनीतिक संदर्भ

- गाजा इजराइल और मिस्र के बीच स्थित एक संकीर्ण तटीय क्षेत्र है, जो दो मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों का घर है।
- फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ अलग होने के बाद से 2007 से, गाजा हमस के नियंत्रण में है।
- इस क्षेत्र ने बार-बार संघर्ष, मानवीय संकट और आर्थिक नाकाबंदी देखी है, जिससे शासन और पुनर्निर्माण एक निरंतर चुनौती बन गई है।

2. फिलिस्तीन-इजराइल मुद्दे पर भारत की पारंपरिक स्थिति

- भारत ने ऐतिहासिक रूप से दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है, जिसमें इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीन की वकालत की गई है।
- भारत राजनयिक और मानवीय सहायता के माध्यम से फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करते हुए इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए रखता है।
- भारत उन शांति प्रक्रियाओं का समर्थन करता है जो समावेशी, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करती हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और भारत

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।
- भारतीय विदेश नीति का एक सुसंगत सिद्धांत गैर-संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सैन्य तैनाती में भागीदारी नहीं है, जो गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) में शामिल होने से भारत के इनकार की व्याख्या करता है।

वर्तमान घटनाक्रम

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संक्रमणकालीन चरण के दौरान शासन और पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए गाजा के लिए शांति बोर्ड का प्रस्ताव दिया है।
- भारत को औपचारिक निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
- बोर्ड से अपेक्षा की जाती है:
 - एक तकनीकी, अराजनीतिक फिलिस्तीनी संक्रमणकालीन प्रशासन की निगरानी करें
 - गाजा के पुनर्विकास के लिए वित्त पोषण की देखरेख करें
 - फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संस्थागत सुधारों को पूरा करने तक कार्य करें
- बोर्ड की अध्यक्षता राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे और इसमें अन्य राष्ट्राध्यक्षों और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल हो सकते हैं।
- भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आईएसएफ में भाग नहीं लेगा, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के ढांचे से बाहर है।

विश्लेषण: भारत के लिए महत्व

अवसर

- एक जिम्मेदार वैश्विक हितधारक के रूप में भारत की छवि को बढ़ाता है।
- भारत को सैन्य भागीदारी के बिना संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण की दिशा देने की अनुमति।
- पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते जुड़ाव के साथ संरेखित है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और अन्य क्षेत्रीय अभिनेताओं के साथ मजबूत संबंध शामिल हैं।

चिंताएँ और बाधाएँ

- भागीदारी के लिए इज़राइल, फिलिस्तीन और व्यापक इस्लामी दुनिया के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अस्थिर संघर्ष क्षेत्र में खींचे जाने का जोखिम।
- संयुक्त राष्ट्र के बाहर प्रमुख शक्तियों के नेतृत्व में शासन तंत्र बहुपक्षीय वैधता को कमजोर कर सकता है।

रणनीतिक स्वायत्तता

- भारत का सतर्क दृष्टिकोण इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है:
- तदर्थ गठबंधनों पर बहुपक्षवाद
- बलपूर्वक सुरक्षा भूमिकाओं के बजाय विकासात्मक और मानवीय भूमिकाएं
- ब्लॉक की राजनीति के बजाय मुद्दे आधारित संरेखण

निष्कर्ष

गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण वैश्विक शांति पहलों में भारत की बढ़ती कूटनीतिक विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को दर्शाता है। हालांकि, भारत की नपी-तुली प्रतिक्रिया रणनीतिक स्वायत्तता, संयुक्त राष्ट्र केंद्रित शांति स्थापना और एक संतुलित पश्चिम एशिया नीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : गाजा पट्टी को इस प्रकार वर्णित किया गया है:

- (a) पूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के अधीन एक स्वशासी क्षेत्र
- (b) एक तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र जो वर्तमान में हमास के नियंत्रण में है
- (c) इज़राइल और मिस्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित एक विवादित क्षेत्र
- (d) 2007 से फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित एक अधिदेशित क्षेत्र

उत्तर:b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : गाजा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावित शासन ढांचे की पृष्ठभूमि में दो-राज्य समाधान के लिए भारत के पारंपरिक समर्थन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। **(150 शब्द)**

पेज 05 : सामान्य अध्ययन II और III : अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की का भारत यात्रा के दौरान दिया गया बयान रूस-यूक्रेन युद्ध, संप्रभुता के वैश्विक मानदंडों और आर्थिक सहयोग पर नई दिल्ली को शामिल करने के बढ़ते यूरोपीय प्रयासों को दर्शाता है।

'Borders should not be decided by tanks or terrorists, but through negotiations'

Polish Foreign Minister and Deputy Prime Minister says his country is 'pleased' with India's reduction in Russian oil purchases; hopes New Delhi shares the view that a world in which the 'law of the jungle becomes acceptable is not a good world'; he expresses optimism for an EU-India FTA soon

INTERVIEW

Radoslaw Sikorski

Suhasini Haidar
JAIPUR

Borders should not be decided by "tanks or terrorists", the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Poland, Radoslaw Sikorski, said ahead of his meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar on Monday. Mr. Sikorski, hoping that India and Poland could have a closer understanding on the issue of Russia's war in Ukraine, said that Poland is "pleased" India has begun reducing its dependence on Russian oil, four years after the war in Ukraine began. The Polish Foreign Minister, one of a number of high-level visitors from Europe to India this month, said the EU-India Free Trade Agreement (FTA) is still being negotiated, but he hoped it would be



signed at the EU-India summit on January 27. Edited excerpts:

You have referred to India's cut in buying Russian oil and said you are 'pleased' and 'satisfied' – are you convinced that this is a permanent shift, or are these just market adjustments?

Well, Russia lost its most lucrative market for gas and oil in Europe as a result of its aggression against one of its neighbours (Ukraine). We hope India understands our

pain, in the sense that we were both colonised in the 19th century; Poland was, so was Ukraine. And we, I think both [India and Poland] believe that the time of European empires trying to colonise other people should be over, and I think both of our regions appreciate how transitory and sometimes accidental borders are, but we also believe that they should be decided through negotiation and adjudication, and not by sending tanks or terrorists.

Do you think the Indian government is shifting

its position due to what Poland has been saying?

Well, India is such a huge country that we understand that it needs to have relationships with everyone. But we hope that India shares our view that principles still matter, that a world in which the law of the jungle becomes acceptable is not a good world. I understand that importers always want a bargain, and Russia is forced to sell its oil at a huge discount, and it's sometimes tempting to take advantage of that, but countries should be careful, because we have successfully sanctioned the Russian "shadow fleet". And so, even when Russia sells [crude oil], they might not be able to deliver it.

Is there any sign of a Russia-Ukraine ceasefire? Poland has been seen as anti-ceasefire, given its transfer of weapons and fighter aircraft...

That's not anti-ceasefire. That's just helping the vic-

tim of aggression resist the aggressor. Doing nothing means that the aggressor wins. And yes, the war can be over as soon as Mr. Putin decides to stop.

Is the North Atlantic Treaty Organization (NATO) as united, given the U.S. threats against Greenland?

We have had a war within NATO before, when Turkey landed its paratroopers in Cyprus (the Turkish invasion in 1974). We survived it, and we'll survive this one, too.

Do you expect to see the EU-India FTA being signed next week?

I hope so. There are, of course, both benefits and some sectoral difficulties where we need to be sensitive to each other's pain. But overall, I think President Donald Trump deserves credit for encouraging us to sign, first, the agreement with Latin America (the EU-Mercosur FTA) and now with India

[reference to tariffs].

You said there are certain sensitivities that still have to be dealt with – in particular, agricultural market access is believed to have been kept out of the deal. Would Poland support that?

The negotiations are continuing, and we are talking about thousands of products, so it's complicated, and let's leave that to the experts. Since communism collapsed in Poland, when the iconic picture from Poland was of food queues, we are now a huge food exporter. I believe that there are very few product lines in which [India and Poland's] agriculture competes with one another. Together, [India and EU] are two billion people. So there is a great deal of potential. And you have a political system which is more compatible with us than some others. So we have hope [of a deal]. (Read the full interview here: newsth.live/sikorski)

पृष्ठभूमि

1. संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मूल सिद्धांत यह है कि बल के उपयोग के माध्यम से सीमाओं को नहीं बदला जा सकता है।
- क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत, मध्यस्थता या निर्णय के माध्यम से हल किए जाने की उम्मीद है।
- यह सिद्धांत रूस-यूक्रेन, पश्चिम एशिया और दक्षिण चीन सागर जैसे संघर्षों पर बहस के लिए केंद्रीय है।

2. रूस-यूक्रेन युद्ध: यूरोपीय परिप्रेक्ष्य

- 2022 में शुरू होने वाले युद्ध को यूरोप द्वारा एक संप्रभु राज्य के खिलाफ आक्रामकता के रूप में देखा जाता है।
- पोलैंड जैसे देश, कब्जे और बदलती सीमाओं के ऐतिहासिक अनुभवों के साथ, संघर्ष को यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला के लिए एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखते हैं।

- नाटो और यूरोपीय संघ यूक्रेन को सैन्य समर्थन को रक्षात्मक सहायता के रूप में मानते हैं, न कि वृद्धि के रूप में।

3. भारत की ऊर्जा कूटनीति

- भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है।
- पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद, रूस ने रियायती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की, जिससे भारत का आयात बढ़ गया।
- भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य वैध राष्ट्रीय हित हैं, साथ ही बातचीत और कूटनीति का भी आह्वान करता है।

4. यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

- एक लंबे अंतराल के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन को गहरा करना था।
- संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि, डेयरी, ऑटोमोबाइल, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं।
- एफटीए वैश्विक संरक्षणवाद और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के संदर्भ में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

वर्तमान घटनाक्रम

- पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने आग्रह किया कि सीमाओं को "टैंक या आतंकवादियों" द्वारा फिर से नहीं खींचा जाना चाहिए, जो यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं।
- पोलैंड ने रूसी तेल खरीद में भारत की कमी पर संतोष व्यक्त किया और इसे एक सकारात्मक राजनीतिक संकेत के रूप में व्याख्या की।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "जंगल के कानून" द्वारा शासित दुनिया वैश्विक स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को कमजोर करती है।
- पोलैंड को उम्मीद है कि भारत कई भागीदारों के साथ संबंध बनाए रखने की भारत की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी मानक सिद्धांतों पर यूरोप के साथ अधिक निकटता से जुड़ेगा।
- सुरक्षा पर, पोलैंड ने यूक्रेन को सैन्य सहायता को पीड़ित का समर्थन करने के रूप में उचित ठहराया, न कि शांति का विरोध करने के लिए।
- यूरोपीय संघ-भारत एफटीए के बारे में आशावाद व्यक्त किया गया था, आगामी शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद थी।

विश्लेषण: भारत के लिए निहितार्थ

राजनयिक संतुलन

- भारत किसी भी गुट के साथ स्पष्ट संरेखण से बचते हुए रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति को जारी रखता है।
- जबकि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है, उसने रूस की सीधे निंदा करने से परहेज किया है, बातचीत को प्राथमिकता दी है।

ऊर्जा बनाम सिद्धांत बहस

- यूरोपीय चिंताएं नैतिक विदेश नीति और आर्थिक व्यावहारिकता के बीच तनाव को उजागर करती हैं।
- भारत का तर्क है कि ऊर्जा खरीद गैर-राजनीतिक है और घरेलू स्थिरता के लिए आवश्यक है।

आर्थिक अवसर

- यूरोपीय संघ-भारत एफटीए निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है।
- पोलैंड का सहायक रुख एक विश्वसनीय आर्थिक और राजनीतिक भागीदार के रूप में भारत में व्यापक यूरोपीय हित को दर्शाता है।

निष्कर्ष

पोलैंड के विदेश मंत्री की टिप्पणी यूरोप की इस उम्मीद को रेखांकित करती है कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देते हुए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत की चुनौती राष्ट्रीय हित के साथ नैतिक सिद्धांतों को संतुलित करने, यूरोपीय संघ-भारत एफटीए जैसे आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और राजनयिक लचीलापन बनाए रखने में निहित है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में प्रस्तावित यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के राजनीतिक महत्व पर चर्चा करें। समझौते को पूरा करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? (150 शब्द)

पेज 10 : सामान्य अध्ययन II : सामाजिक न्याय

छात्रों की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देशों ने भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रणालीगत संकट को ध्यान में ला दिया है। छात्र संकट को संकाय की कमी, कमजोर शासन और अपर्याप्त संस्थागत क्षमता जैसी संरचनात्मक कमियों से जोड़कर, न्यायालय ने रेखांकित किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में व्यापक सुधारों के बिना छात्र कल्याण को संबोधित नहीं किया जा सकता है।

वैचारिक पेजभूमि

1. उच्च शिक्षा का व्यापककरण

- भारत ने निजीकरण और बढ़ी हुई पहुंच से प्रेरित उच्च शिक्षा नामांकन का तेजी से विस्तार देखा है।
- हालांकि, इस बड़े पैमाने पर गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे या अकादमिक स्टाफिंग में आनुपातिक सुधार से मेल नहीं खाया गया है।
- परिणामों में भीड़भाड़ वाली कक्षाएं, अनुसंधान उत्पादन में गिरावट और खराब छात्र सहायता प्रणाली शामिल हैं।

2. छात्र संकट और आत्महत्याएं

- छात्र आत्महत्याएं एक बहुआयामी मुद्दा है, जो इससे जुड़ा हुआ है:
 - वित्तीय तनाव
 - सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय
 - शैक्षणिक दबाव और सलाह की कमी
- एचईआई संस्थागत सहायता, परामर्श और शैक्षणिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शासन

- विश्वविद्यालयों का प्रभावी कार्यकरण कुलपतियों, रजिस्ट्रारों और संकाय की समय पर नियुक्ति पर निर्भर करता है।
- रिक्तियां अकादमिक नेतृत्व को कमजोर करती हैं, निर्णय लेने में देरी करती हैं और संस्थागत विश्वसनीयता को नष्ट करती हैं।
- यूजीसी-विनियमित भर्ती प्रक्रिया, हालांकि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक है, समय लेने वाली है और इसके लिए निरंतर बजटीय समर्थन की आवश्यकता होती है।

4. संवैधानिक पहलू

- अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है, यहां तक कि कार्यकारी और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े क्षेत्रों में भी।
- यहां इसका उपयोग सार्वजनिक हित और संवैधानिक महत्व के मामले के रूप में उच्च शिक्षा की न्यायिक मान्यता को दर्शाता है।

Crisis in education

Higher education institutions need systemic reforms

In an ongoing case relating to student suicides, the Supreme Court of India has issued nine directions to Central and State governments. Recognising the massification of higher education front-ended by privatisation without a commensurate boost in quality, the Court has taken note of student distress covering financial, social, social injustice and academic issues. The Court has invoked Article 142 of the Constitution and seven of the nine directions relate to record-keeping, reporting, and tracking suicides in higher education institutions (HEI) separately. Two directives order the filling of the posts of Registrars and Vice-Chancellors as well as all vacant faculty positions. Evidently, the Court sees these steps as critical to student well-being.

Across India, ground reportage shows that many public HEIs, especially universities, report 50% vacancies. The University of Madras is a case study as it is the premier State-administered HEI in Tamil Nadu – a State which leads the nation in enrolment in higher education and with a stellar record in women's education. With such a storied legacy, the university was known for quality research besides awarding degrees in affiliated colleges through examinations. Teaching became an important component in the late 1970s, but in the last decade, its decline has been pronounced. No new faculty appointments have been made and the teaching strength is half of the sanctioned strength. The university's research component is just about functional. It boasts of centres for advanced studies such as in philosophy, botany and mathematics, but these are a shadow of their original selves. Today, the humanities, science-based and social science research focused on Tamil Nadu, that the government can leverage from its public universities, has been given short shrift. Vice-Chancellor appointments have been stalled by a recalcitrant Governor. The ambiguity thrown in by the Court on the Presidential reference on a Governor's powers may need to be resolved before Vice-Chancellor vacancies can be quickly filled. Filling faculty positions would have to follow UGC process that takes at least six months and a budgetary commitment that may be helped with Union government support. Availability of qualified faculty can be a hurdle. Corruption and political-ideological appointments have affected quality and need to be addressed. Although the four-month schedule prescribed by the Court might seem daunting, the order is a call to action to fulfil the basic requirements of a robust public higher education system before goals such as Viksit Bharat can be seriously aspired for.

वर्तमान घटनाक्रम

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नौ निर्देश जारी किए हैं।
 - सात दिशाएं एचईआई में छात्र आत्महत्याओं के व्यवस्थित रिकॉर्ड-रखने, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
 - दो प्रमुख दिशाएँ जनादेश देती हैं:
 - कुलपतियों और रजिस्ट्रारों के रिक्त पदों को भरना
 - सभी रिक्त संकाय पदों को भरना
- न्यायालय ने स्पष्ट रूप से शासन और कर्मचारियों की कमी को छात्र कल्याण के साथ जोड़ा।

केस स्टडी: मद्रास विश्वविद्यालय

- उच्च नामांकन और मजबूत महिला शिक्षा संकेतकों वाले राज्य में एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय होने के बावजूद, इसका सामना करना पड़ता है:
 - लगभग 50% संकाय रिक्तियां
 - एक दशक में कोई नई संकाय नियुक्ति नहीं
 - शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में भारी गिरावट
- उन्नत अनुसंधान केंद्र बड़े पैमाने पर नाम में मौजूद हैं, और सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान कमजोर हो गया है।
- केंद्र-राज्य-राज्यपाल के तनाव के कारण कुलपतियों की नियुक्तियों में देरी हुई है, जिससे शासन की अड़चनें उजागर हो रही हैं।

विश्लेषण: निहितार्थ और चुनौतियाँ

अदालत के निर्देश क्यों मायने रखते हैं

- आत्महत्याओं की डेटा-संचालित ट्रैकिंग नीति को प्रतिक्रियाशील से निवारक में बदलने में मदद करेगी।
- नेतृत्व और संकाय पदों को भरना मूलभूत है:
 - शैक्षणिक सलाह
 - अनुसंधान पर्यवेक्षण
 - संस्थागत जवाबदेही

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- यूजीसी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए समय की आवश्यकता होती है और योग्य संकाय की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
- राज्य स्तर पर बजटीय बाधाओं के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।
- नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण के मुद्दे गुणवत्ता को कमजोर कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए लिंक

- विकसित भारत और जनसांख्यिकीय लाभांश जैसी आकांक्षाओं को कुशल, लचीला और सामाजिक रूप से जागरूक स्नातकों का उत्पादन करने वाले मजबूत सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बिना साकार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप केवल छात्रों की आत्महत्या को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के मूल संस्थागत स्वास्थ्य को बहाल करने के बारे में है। यह आदेश सरकारों के लिए रिक्तियों, शासन पक्षाघात और गिरते शैक्षणिक मानकों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों का संकट भारत की सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली में गहरी संरचनात्मक और शासन विफलताओं का प्रतिबिंब है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए निर्देशों के आलोक में, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें और उन्हें संबोधित करने के लिए सुधारों का सुझाव दें। **(150 शब्द)**

पेज 12 : सामान्य अध्ययन II : सामाजिक न्याय/प्रारंभिक परीक्षा

बाल तस्करी भारत में सबसे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघनों में से एक है, जो बच्चों के जीवन और गरिमा के अधिकार को कमजोर करती है। हर साल हजारों की संख्या में बचाव के बावजूद, दोषसिद्धि दर बहुत कम रहती है। के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में दोहराया गया है कि तस्करी मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है, जिसमें मजबूत कानूनी प्रवर्तन, संस्थागत समन्वय और निवारक सामाजिक उपायों की मांग की गई है।

How should India tackle child trafficking?

What is the Palermo Protocol? How does the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 define trafficking? How does the Constitution of India protect children from exploitation? How has the Supreme Court reacted? Why is a strong Centre-State relationship important for countering exploitation?

EXPLAINER

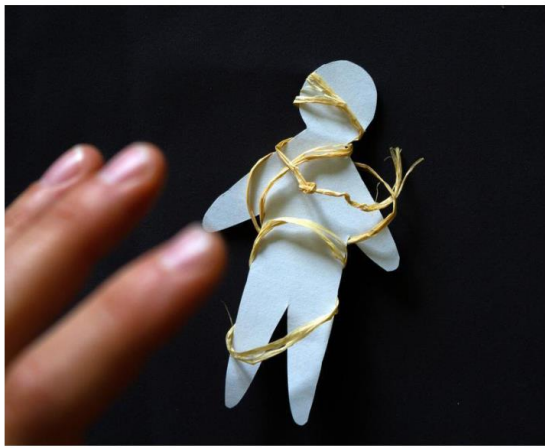
C. B. P. Srivastava

The story so far:

Child trafficking remains a deeply disturbing reality in India. The Supreme Court in its recent decision in *K. P. Kiran Kumar versus State* has given strict guidelines to prevent such offences, and held that trafficking grossly violates children's fundamental right to life as guaranteed by the Constitution. According to the National Crime Records Bureau, in 2022, about 3,098 children below 18 years were rescued. Between April 2024 and March 2025, over 53,000 children were rescued from child labour, trafficking and kidnapping across India. However, the conviction rate for such offences between 2018 and 2022 was only 4.8%.

What is child trafficking?

Internationally, the Palermo Protocol (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), 2000 defines child trafficking as "the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of a child for the purpose of exploitation." Presently, Section 143 of Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 provides that "whoever, for the purpose of exploitation, recruits, transports, harbours, transfers, or receives, a person or persons by, using threats; or using force, or any other form of coercion; or by abduction; or by practising fraud, or deception; or by abuse of power; or by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received, commits the offence of trafficking." The word 'exploitation' is wide enough in its scope and includes physical and sexual exploitation as well. It also includes any form of slavery, servitude, or forced



removal of organs.

What are the rights of children?

The Constitution extensively provides for the protection of children. Articles 23 and 24 give protection from human trafficking, begging, forced labour and employment in hazardous industries. Apart from these provisions, the state is also obliged to ensure that children are not abused, and that they are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity. They are protected against exploitation and moral and material abandonment under Clauses (e) and (f) of Article 39 respectively.

The BNS under Sections 98 and 99 specifically addresses the 'selling and buying' of minors. On the other hand, prevention of trafficking for sexual exploitation is provided in the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956.

Furthermore, care, protection and rehabilitation for victims of child trafficking is provided under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. The Criminal Law Amendment Act, 2013 also intends to check such activities by providing a more comprehensive definition of trafficking by including sexual exploitation, slavery, servitude, forced labour, and organ removal. It will cover trafficking irrespective of consent.

The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 assumes greater significance in this regard. Apart from defining offences covering sexual assault, harassment and child pornography, the Act includes stringent punishments which inter alia include life imprisonment and even death penalty in extreme cases. One of the most important aspects of the Act is that it is gender-neutral. In order to provide rapid

trials, about 400 fast track courts set up exclusively for implementing the POCSO Act are in operation across India. These courts have set a target to dispose of around 165 cases per year per court.

THE GIST

What has been the judicial approach?

In *Vishal Jeet versus Union of India, 1990* it was held that trafficking and child prostitution are serious socio-economic problems and hence a preventive and humanistic approach is essential to deal with them. In *M. C. Mehta versus State of Tamil Nadu, 1996*, the Court issued guidelines with a view to prohibiting employment of children in hazardous industries. Moreover, in the *Bachpan Bachao Andolan versus Union of India, 2011* case, the top court issued directions to address widespread exploitation and trafficking of children.

What next?

The guidelines point out that the socio-economic vulnerabilities of the victims must be considered, especially those from marginalised communities. Society is still unable to protect children and adolescents from being criminals or being victims of crimes. Factors such as poverty, unemployment, migration, disasters and breakdown of the family system push children into vulnerability which strengthens the trafficking chain. In recent years, the spread of social media and online platforms has contributed to such offences, especially in terms of recruitment in the name of jobs or opportunities for "modelling". The government must first ensure that the social, economic and political rights of children are well protected with the help of institutions built for the purpose. Second, it must come down heavily on traffickers and ensure that the conviction rate improves considerably so that a deterrence may be created. Moreover, a strong Union-State relationship is also required because law and order and police are State subjects.

C. B. P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance, Delhi.

THE GIST

The Supreme Court in its recent decision in *K. P. Kiran Kumar versus State* has given strict guidelines to prevent such offences, and held that trafficking grossly violates children's fundamental right to life as guaranteed by the Constitution.

The guidelines point out that the socio-economic vulnerabilities of the victims must be considered, especially those from marginalised communities.

The Constitution extensively provides for the protection of children. Articles 23 and 24 give protection from human trafficking, begging, forced labour and employment in hazardous industries.

पलेर्मो प्रोटोकॉल क्या है?

- पलेर्मो प्रोटोकॉल (2000), जिसे औपचारिक रूप से व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, बाल तस्करी को इस प्रकार परिभाषित करता है:
- "शोषण के उद्देश्य से बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति।

प्रमुख विशेषताएँ

- बच्चे की सहमति अप्रासंगिक है।
- शोषण में यौन शोषण, जबरन श्रम, दासता, दासता और अंग निष्कासन शामिल हैं।

- भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, और इसके घरेलू कानून मोटे तौर पर इस परिभाषा के अनुरूप हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 तस्करी को कैसे परिभाषित करती है?

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143 के तहत, तस्करी में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, शक्ति के दुरुपयोग या प्रलोभन के माध्यम से शोषण के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण, या प्राप्ति शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- शोषण को मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है (शारीरिक, यौन शोषण, दासता, दासता, जबरन श्रम, अंग हटाना)।
- सहमति सारहीन है जहां शोषणकारी इरादा मौजूद है।
- धारा 98 और 99 अलग-अलग नाबालिगों की खरीद और बिक्री को अपराध बनाती है।

भारत का संविधान बच्चों की रक्षा कैसे करता है?

- संविधान शोषण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:
- अनुच्छेद 23: मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 24: खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) (डीपीएसपी): बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण और नैतिक/भौतिक परित्याग से सुरक्षा प्रदान करना।
- साथ में, ये प्रावधान बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व लगाते हैं।

बीएनएस से परे कानूनी ढांचा

पॉक्सो अधिनियम, 2012

- लिंग-तटस्थ कानून
- चरम मामलों में आजीवन कारावास और मौत की सजा सहित कड़ी सजा
- त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें

किशोर न्याय अधिनियम, 2015

- तस्करी किए गए बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

- यौन शोषण और तस्करी नेटवर्क को लक्षित करता है

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या रहा है?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार मानवतावादी और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है:

विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990) → तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के रूप में पहचाना गया जिसमें रोकथाम-केंद्रित रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

(ख) एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) → जोखिमकारी उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011) → बाल तस्करी और शोषण से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्देशन किया।

के. पी. किरण कुमार बनाम राज्य (हाल ही में) → ने तस्करी को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और सख्त निवारक दिशा-निर्देश जारी किए।

केंद्र-राज्य संबंध मजबूत क्यों हैं?

- पुलिस और कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, लेकिन तस्करी नेटवर्क अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते हैं।
- बचाव, जांच, अभियोजन और पुनर्वास की आवश्यकता है:
 - डेटा साझाकरण
 - संयुक्त कार्य बल
 - समन्वित खुफिया
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियां आंकड़े उपलब्ध कराती हैं, लेकिन कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर करता है।
- कमजोर समन्वय से दोषसिद्धि दर खराब होती है (4.8-2018 के बीच केवल 2022%)।

आगे की राह: भारत को बाल तस्करी से कैसे निपटना चाहिए

पहले रोकथाम

- मूल कारणों को संबोधित करें: गरीबी, पलायन, आपदाएं, बेरोजगारी, परिवार का टूटना।
- कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना।

प्रौद्योगिकी विनियमन

- झूठी नौकरी/मॉडलिंग प्रस्तावों के तहत तस्करी के लिए उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया और ऑनलाइन भर्ती प्लेटफार्मों की निगरानी करें।

मजबूत प्रवर्तन और दोषसिद्धि

- विशेष तस्करी विरोधी इकाइयाँ
- गवाहों की सुरक्षा और पीड़ित-केंद्रित परीक्षण
- पॉक्सो और बीएनएस के तहत मामलों का तेजी से निपटान

पुनर्वास और पुनर्एकीकरण

- मनोवैज्ञानिक देखभाल, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण
- पुनः तस्करी को रोकने के लिए समुदाय-आधारित पुनर्एकीकरण

केंद्र-राज्य तालमेल

- एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस
- मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)
- संघ की ओर से राज्यों को वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता

निष्कर्ष

भारत में बाल तस्करी केवल एक आपराधिक कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, शासन और समन्वय की विफलता है। जबकि भारत के पास पलेर्मो प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जुड़ा एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढांचा है, प्रभावी कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती बनी हुई है। तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और भारत की भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए मजबूत केंद्र-केंद्रित, उच्च दोषसिद्धि दर और निवारक सामाजिक-आर्थिक नीतियों द्वारा समर्थित एक बाल-केंद्रित, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है।

UPSC प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न : उत्तर पॉक्सो अधिनियम, 2012 महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. यह लिंग-तटस्थ है।
2. यह फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है।
3. इसमें श्रम शोषण के लिए बाल तस्करी से संबंधित अपराधों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: b)

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: बाल तस्करी जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। इस संदर्भ में, बाल तस्करी से निपटने के लिए भारत में संवैधानिक, कानूनी और न्यायिक ढांचे की जांच करें। **(150 शब्द)**

India-Germany ties can only soar higher

Last week, we witnessed something rather unusual. Television channels, newspapers and social media were full of images/pictures of two very important leaders – Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz flying kites together in Ahmedabad, Gujarat. It was quite a contrast to the other images of this very substantial meeting. But I actually think that the kite is the perfect symbol to illustrate where Germany's partnership with India is going.

Germany and India have both experienced strong headwinds in recent months. The eroding international trade system is a challenge for both their economies. They both watch the increasing disregard for international law and the disruption of the rules-based global order with great worry. And they both share concerns on the stability in their neighbourhoods. Both countries want predictable conditions. This is what they need for their people to prosper. Based on hard work, on inventiveness and innovation, on education and on science. But it is only in stormy conditions that a good kite flyer shows you what it is capable of – just like the India-German partnership.

Two countries that have economic heft Chancellor Merz and Mr. Modi are also the leaders of the third- and fourth-biggest economies, respectively, of the world. We are talking about two economic heavyweights. In a few years, India will overtake Germany, to become the undisputed number three in the world. And let me tell you something: Germany will celebrate the day this happens. The world economy is not a zero-sum game, contrary to



Philipp Ackermann
is the German
Ambassador to India

A kite is the apt
symbol to show
where
Germany's
partnership with
India is going

what some leaders think. When India profits, Germany also profits. A stronger Indian economy means a bigger market for German products, and a stronger footprint of Indian companies in Germany spells more competitive products and services for German businesses and consumers.

One of the central messages of Chancellor Merz in India was that a free-trade agreement between Europe and India is what India and Germany need to propel their economies to the next level. And to become more resilient against unpredictable trade wars and supply chain interruptions. This was Chancellor Merz's first visit outside the Western Alliance, and his first time in India. The invitation to Ahmedabad, to Mr. Modi's home State of Gujarat, was a very special gesture of friendship for Germany. There was a lot of substance to discuss and decide upon, but the Chancellor's personal impressions of this trip are just as significant.

The basis of the migration partnership

Here is an anecdote of the visit – it might sound like a small detail, but there is much more to it. Chancellor Merz had a conversation with young Indians who were about to move to Germany. One of these young women had a casual chat with Mr. Merz in German. This young Indian had been learning German for only four months. And I have been struggling with Hindi for four years now. My excuse is usually "Maf kijiye, lekin Hindi kafi mushkil hai" (Sorry, but Hindi is very difficult), but I can tell you that learning German will also feel like a case of brain jogging at times. The chat that Chancellor Merz had with that young lady epitomises what I admire so much

about Indians. They are nimble and quick to adapt, they always have a game plan, and they know how to get there – with a mix of perseverance, smartness and sometimes disarming assertiveness. Many well-established professional pathways and educational opportunities around the world are closing up. But Germany continues to welcome smart, skilled and spirited Indians. Its migration partnership with India is built on safe, legal and predictable migration.

Platinum jubilee of ties

In 2026, Germany is celebrating 75 years of diplomatic ties with India and I cannot imagine a better start into this year than this visit. Today, India and Germany stand closer together than ever before. Not just because external shocks brought them closer together, but because in the previous years, they set a clear strategic direction for their partnership. In the same sense, I believe that the diplomatic anniversary between Germany and India will set them up for future success.

A European Union-India-Free Trade Agreement, a closer defence partnership between Germany and India, and stronger and stronger bonds between their people will be the building blocks for something truly lasting.

I am convinced that by the end of this year, when Mr. Modi and his cabinet will travel to Germany for the biennial Intergovernmental Consultations, India and Germany will celebrate a year of significant progress in their bilateral relations, a year that has started with flying their kites in the skies of Ahmedabad.

सामान्य अध्ययन पेपर II : अंतराष्ट्रीय संबंध

UPSC मुख्य अभ्यास प्रश्न: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर बहुपक्षवाद के युग में, भारत-जर्मनी संबंधों ने नए सिरे से रणनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है। व्यापार, प्रवासन और वैश्विक शासन में हाल के विकास के संदर्भ में चर्चा करें। (250 शब्द)

संदर्भ :

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की हालिया भारत यात्रा, जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी बातचीत से प्रतीकात्मक रूप से चिह्नित है, भारत और जर्मनी के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। प्रतीकवाद से परे, यह यात्रा वैश्विक अनिश्चितता, नियम-आधारित व्यवस्था के क्षरण और बदलती भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते अभिसरण पर प्रकाश डालती है।

पृष्ठभूमि

1. भारत-जर्मनी संबंध: एक सिंहावलोकन

- भारत और जर्मनी ने 1951 में राजनयिक संबंध स्थापित किए; 2026 में संबंधों के 75 साल पूरे हो जाएंगे।
- जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है।

- रिश्ता चार स्तंभों पर टिका हुआ है:
 - व्यापार और निवेश
 - विज्ञान, शिक्षा और नवाचार
 - जलवायु और स्थिरता
 - रणनीतिक और वैश्विक मुद्दे

2. साझा वैश्विक चिंताएँ

दोनों देश:

- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करें
- वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों से प्रभावित हैं
- अपने-अपने पड़ोस में स्थिरता की तलाश करें
- बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पूर्वानुमेयता पर जोर देना

3. आर्थिक महत्व

- जर्मनी वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी है, जिसके जल्द ही जर्मनी से आगे निकलने की उम्मीद है।
- दोनों शून्य-राशि वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था की धारणा को खारिज करते हैं, विकास को पारस्परिक रूप से मजबूत करने के रूप में देखते हैं।

लेख से मुख्य बातें

1. आर्थिक और व्यापार सहयोग

- चांसलर मर्ज़ ने विकास और लचीलेपन के एक प्रमुख चालक के रूप में यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का पुरजोर समर्थन किया।
- एफटीए को मुकाबला करने के लिए आवश्यक माना जाता है:
 - व्यापार युद्ध
 - संरक्षणवाद
 - आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान
- यह व्यापार भागीदारों में विविधता लाने और किसी एक ब्लॉक पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

2. रणनीतिक और राजनीतिक अभिसरण

- यह यात्रा निम्नलिखित पर घनिष्ठ संरेखण को रेखांकित करती है:
 - अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान
 - वैश्विक अस्थिरता पर चिंताएं
 - पूर्वानुमानित वैश्विक शासन की आवश्यकता
- वेस्टर्न अलायंस के बाहर मर्ज़ की पहली यात्रा के रूप में भारत को चुना जाना यूरोप की विदेश नीति में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व का संकेत देता है।

3. प्रवासन और लोगों से लोगों के बीच संबंध

- जर्मनी अन्य जगहों पर प्रवास के अवसरों को कम करने के बीच कुशल भारतीय पेशेवरों और छात्रों का स्वागत कर रहा है।
- भारत-जर्मनी प्रवासन साझेदारी किस पर आधारित है?
 - विधि-सम्मत
 - विश्वसनीय
 - पूर्वानुमेय प्रवासन
- यह जर्मनी की कौशल की कमी को दूर करते हुए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का समर्थन करता है।

4. पदार्थ के साथ प्रतीकवाद

- अहमदाबाद में पतंगबाजी की तस्वीर वैश्विक "विपरीत परिस्थितियों" के बीच लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है।
- इस यात्रा में व्यापार, रक्षा, प्रवासन और नवाचार पर ठोस चर्चा के साथ नरम कूटनीति का संयोजन हुआ।

भारत के लिए सामरिक महत्व

अवसर

- उन्नत जर्मन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण विशेषज्ञता तक पहुंच
- यूरोपीय संघ-भारत एफटीए के माध्यम से बाजार पहुंच में वृद्धि
- मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग
- वैश्विक आर्थिक शासन को आकार देने में बड़ी आवाज

चुनौतियां

- एफटीए वार्ताओं पर ठोस परिणामों में इरादे को बदलना
- यूरोपीय संघ के संबंधों को गहरा करते हुए अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करना

निष्कर्ष

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की यात्रा भारत-जर्मनी संबंधों में एक उच्च बिंदु का प्रतीक है, जो आर्थिक खुलेपन, बहुपक्षवाद और जन-केंद्रित विकास के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। जैसे-जैसे दोनों देश राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, व्यापार, रक्षा, प्रवासन और नवाचार में सहयोग और गहरा होना तय है। अशांत वैश्विक वातावरण में, भारत-जर्मनी साझेदारी - एक अच्छी तरह से उड़ने वाली पतंग की तरह - लचीलापन, संतुलन और एक साथ ऊंची उड़ान भरने की क्षमता प्रदर्शित करती है।